बारिश से प्रभावित केरल को राजनाथ सिंह का आश्वासन, की जाएगी हर संभव मदद

नयी दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारी बारिश से प्रभावित केरल को केंद्र की ओर से हर आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान केरल से ताल्लुक रखने वाले सदस्यों ने बारिश से हुए जानमाल का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि वह केरल के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने सहयोगी मंत्री किरण रिजिजू को स्थिति का जायजा लेने के लिये राज्य के दौरे पर भेजा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जिस तरह के सहयोग की भी जरूरत होगी, वह केंद्र की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। इस विषय को उठाते हुए माकपा के पी करुणाकरन ने कहा कि केरल कुछ महीने के भीतर केरल तीन बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर चुका है और इस वक्त केरल को विशेष मदद की जरूरत है। कांग्रेस के के सी वेणुगोपाल ने कहा कि बारिश की वजह से सिर्फ कल ही 23 लोगों की मौत हुई और राज्य में भारी तबाही हुई है। पहली बार 22 बांधों से अधिशेष पानी छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से केरल को विशेष वित्तीय पैकेज दिया जाना चाहिए।

एनआरसी से बाहर के लोगों की संख्या में व्यापक बदलाव दिखेगा : सरमा

अगरतला, 10 अगस्त (ए)। असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा का कहना है कि दावा और आपत्ति प्रक्रिया समाप्त होने के बाद असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से बाहर रखे गये लोगों की संख्या में व्यापक बदलाव आएगा। सरमा ने कल संवाददाताओं से कहा कि राज्य में एनआरसी का अंतिम मसौदा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि वह अंतिम सूची नहीं है। उन्होंने कहा, असम में एनआरसी को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। यह सिर्फ एक मसौदा है। हमारे एनआरसी में कई लोगों के नाम नहीं हैं। दावा और आपत्ति प्रक्रिया के बाद ऐसे लोगों की संख्या में व्यापक बदलाव आएगा। इस दौरान मौजूदा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिल्पब कुमार देब ने कहा कि उन्हें अपने राज्य में एनआरसी को लेकर मांग उठने की कोई सूचना नहीं है।

एमपी चुनाव में वीवीपीएटी की औचक जांच चाहती है कांग्रेस

नयी दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। मध्यप्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में वीवीपीएटी वोटिंग मशीनों की औचक जांच का निर्देश निर्वाचन आयोग को देने की मांग करने वाली कांग्रेस नेता कमलनाथ की याचिका पर उच्चतम न्यायालय अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज यह मामला आया। पीठ ने कहा कि इसपर सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी। कमलनाथ ने अपनी याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 10 प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर ईवीएम में पड़े मतों का मिलान वीवीपीएटी मशीनों की पर्ची के साथ करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को दिया जाए। उन्होंने मतदाता सूची भी लिखित प्रारूप में उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने किया जनता का शोषण : सचिन पायलट

जयपुर, 10 अगस्त (ए)। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर अपने शासन के दौरान लोगों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी चुनाव में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं बल्कि प्रदेश की जनता और भाजपा के बीच है। 'अगस्त क्रांति दिवस' के उपलक्ष्य में कांग्रेस सेवा दल की ओर से तिरंगा यात्रा के समापन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री राजस्थान गौरव यात्रा निकालने में व्यस्त है और जनता ने उन्हें पहले ही नकार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को जनादेश नहीं मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी विजेता पार्टी के रूप में उभरेगी और प्रदेश में सरकार बनायेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और पायलट ने अलबर्ट हाल से शुरू हुई यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा का समापन मिर्जा इस्माइल रोड पर स्थित शहीद स्मारक पर हुआ। मार्च में पार्टी के सैंकडों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

न्यूनतम वेतन पर केंद्र का मापदंड अपनाएगी दिल्ली सरकार : गोपाल राय

नयी दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्यूनतम वेतन के संबंध में दिल्ली सरकार की अधिसूचना रद्द किये जाने के कुछ ही दिन बाद आप सरकार ने कहा कि सरकार इस संबंध में केन्द्र का मानदंड अपनाएगी ताकि शहर के कामकाजी लोग प्रभावित ना हों। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से तय न्यूनतम वेतन दिल्ली सरकार की ओर से पिछले वर्ष अधिसूचित 37 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले ज्यादा है। राय ने कहा, चूंकि अदालत ने हमारी मार्च, 2017 की अधिसूचना को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है।

एयरलाइन कर्मियों की सबसे बड़ी हड़ताल, 400 फ्लाइट रद्द, हजारों प्रभावित

ब्रिटेन, 10 अगस्त (ए)। रेयान एयर की अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल की वजह से 70 हजार से ज्यादा परेशान हैं। एयरलाइंस के सभी पायलट ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। एयर लाइन ने कहा कि जर्मनी जाने वाली और जर्मनी से आने वाली करीब 250 फ्लाइट कैंसल की गई हैं। इसके अलावा बेल्जियम की 104 फ्लाइट रद्द हैं। स्वीडन की 22 और आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच चलने वाली 20 फ्लाइट कैंसल की गई हैं। रेयान एयर ने इस संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। द इंडिपेंडेंट की मानें तो करीब 100 ब्रिटिश फ्लाइट कैंसल हुई हैं, जिससे करीब 18 हजार पैसेंजर्स प्रभावित हुए हैं। बर्लिन, स्कोनफेल्ड, गोटबर्ग और स्टॉकहोम पर सबसे ज्यादा सर्विस प्रभावित हुई है। आयरलैंड के पायलट पिछले 51 दिनों से ट्रांसफर और वरिष्ठता के मुद्दे पर हड़ताल कर रहे हैं। दोनों पक्ष इस मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पहले हड़ताल खत्म करने की शर्त रखी है। जर्मनी में फ्लाइट क्रू बेहतर पगार के लिए हड़ताल पर हैं। उनकी यूनियन का कहना है कि रेयान एयर अकेली इस हड़ताल के लिए जिम्मेदार है। स्वीडन, नीदरलैंड और बेल्जियम स्थानीय कानून के मुताबिक अपनी नौकरी चाहती हैं, न कि आयरलैंड के कानून के हिसाब से। इस पूरे मामले पर रेयान एयर ट्वीट कर कहा, अनुचित हड़ताल के बावजूद 2000 रेयान एयर फ्लाइट ऑपरेशनल हैं, यूरोप के करीब 4 लाखा से ज्यादा यात्री इन सेवाओं का फायदा उडा रहे हैं।

साफ हुई तस्वीर : दिलचस्प होगा 2019 का मुकाबला

जालंधर, 10 अगस्त (ए)। संसद के मानसून सत्र के दौरान हुई सियासत ने 2019 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर लगभग साफ कर दी है। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष 2 बार आमने-सामने हुए हालांकि दोनों बार सत्ता पक्ष का फ्लोर मैनेजमैंट बेहतर रहा और दोनों बार विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा लेकिन गुरुवार को राज्यसभा के उपसभापति के पद हेतु चुनाव में तस्वीर ज्यादा साफ हुई है। इस चुनाव में हालांकि विपक्ष सिर्फ 105 वोट ही जुटा सका लेकिन इस बहाने कांग्रेस के साथ आने वाली पार्टियों को लेकर स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। राज्यसभा में हुए मुकाबले से लग रहा है कि 2019 का चुनाव दिलचस्प रहने वाला है।

कांग्रेस के संभावित सहयोगियों की स्थिति साफ : राज्यसभा में हुए चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डी.एम.के., बी.एस.पी., सी.पी.एम., सी.पी.आई., राष्ट्रीय जनता दल, जे.डी.एस., केरल कांग्रेस व मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हुई, लिहाजा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन तय हो सकता है। इनके अलावा कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जिनके साथ कांग्रेस चुनाव के बाद गठबंधन कर सकती है। इनमें आम आदमी पार्टी, टी.आर.एस., पी.डी.पी. और नैशनल कॉन्फ्रैंस जैसी पार्टियां शामिल हो सकती हैं।

भाजपा के सहयोगियों की स्थिति भी साफ : भाजपा के सहयोगियों के टूटने को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। खासतौर पर शिवसेना के तल्ख तेवरों से महाराष्ट्र में दोनों का गठबंधन खतरे में नजर आ रहा है लेकिन शिवसेना ने जिस तरीके एन.डी.ए. के उम्मीदवार का समर्थन किया उससे लग रहा है कि शिवसेना ने गठबंधन को बरकरार रखने का एक रास्ता खुला रखा हुआ है। भाजपा के साथ-साथ शिवसेना को भी पता है कि यदि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एन.सी.पी. मिलकर लड़ें तो भाजपा से अलग लडऩे की स्थिति में महाराष्ट्र में दोनों का नुक्सान होगा। लिहाजा आज का चुनाव शिवसेना के रुख में नर्मी का संकेत भी है। अकाली दल ने भी एन.डी.ए. के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करके अपनी स्थिति साफ कर दी है। भाजपा को बीजद, ए.आई.ए.डी.एम. के और टी.आर.एस. का भी साथ मिला है। टी.आर.एस. के साथ को तेलंगाना में भाजपा के साथ तालमेल बढऩे की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। दक्षिण के इस राज्य में भाजपा का कोई आधार नहीं है। भाजपा को ए.आई.ए.डी.एम. के और टी.आर.एस. के रूप में दो मजबूत सहयोगी मिल सकते हैं।

धारणा के सत्र पर भाजपा की जीत : संसद के इस सत्र के दौरान भाजपा 20 जुलाई को पहली बार सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव में बड़े अंतर से जीती और विपक्ष को बौना साबित किया भाजपा 325 लोकसभा सदस्यों का भरोसा हासिल करने में कामयाब रही जबकि विपक्ष भाजपा के सामने 126 मतों के साथ बिखरा हुआ नजर आया। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव के दौरान भी शुरूआती दौर में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस भाजपा को पछाड़ देगी लेकिन ऐन मौके पर भाजपा ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार देने की बजाय एन.डी.ए. के हरिवंश नारायण सिंह को उतार कर बाजी पलट दी। इन दोनों शक्ति परीक्षणों में सफलता से भाजपा ने देश में यह धारणा बनाने में सफलता हासिल की है कि राजनीतिक प्रबंधन में उसका और विपक्ष का मुकाबला नहीं है और भाजपा काफी हद तक यह संदेश देने में कामयाब भी रही है।

पत्नी के नाम पर ही सही, प्रॉपर्टी पति ने खरीदी तो मालिक वही होगा

हाईकोर्ट ने कहा

नई दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। हाई कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति को कानूनन अधिकार है कि वह अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अपने पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सके। इस तरह खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेनामी नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी संपत्ति का मालिक वही कहलाएगा, जिसने उसे अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदा, न कि जिसके नाम पर वह खरीदी गई।

जस्टिस वाल्मीकि जे. मेहता की बेंच ने एक व्यक्ति की अपील मंजूर करते हुए यह टिप्पणी की और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत इस व्यक्ति से उन दो संपत्तियों पर हक जताने का अधिकार छीन लिया गया था, जो उसने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थीं। इस व्यक्ति की मांग थी उसे इन दो संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाए, जो उसने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदी। इनमें से एक न्यू मोती नगर और दूसरी गुड़गांव के सेक्टर-56 में बताई गई।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इन दो संपत्तियों का असली मालिक वह है, न कि उनकी पत्नी जिसके नाम पर उसने यह संपत्ति खरीदी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बेनामी ट्रांजेक्शन (प्रोहिबिशन) ऐक्ट, 1988 के उस प्रावधान के आधार पर याचिकाकर्ता के इस अधिकार को जब्त कर लिया, जिसके तहत संपत्ति रिकवर करने के अधिकार पर प्रतिबंध है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के संबंधित आदेश को रद्द करते हुए कहा कि निचली अदालत ने इस व्यक्ति की याचिका को शुरुआत में ही ठुकरा कर गलती कर दी। क्योंकि संबंधित आदेश जब पारित किया गया तब प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन ऐक्ट, 1988 संशोधन के साथ लागू था।

कोर्ट ने कहा कि इस संशोधित कानून में साफ तौर पर बताया गया है कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है और ऐसे कौन से लेनेदेन है जो बेनामी नहीं हैं। हाई कोर्ट ने कहा, मौजूदा मामले में प्रॉपर्टी का पत्नी के नाम पर होना इस कानून के तहत दिए गए अपवाद में आता है। क्योंकि एक व्यक्ति को कानूनन इस बात की इजाजत है कि वह अपने आय के ज्ञात स्रोतों से अपने स्पाउज के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सके और जिन परिस्थितियों में यहां संपत्ति खरीदी गई, इससे खरीदी गई प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है, बल्कि मालिक यानी पति यानी याचिकाकर्ता की है, पत्नी की नहीं जिसके नाम पर वह संपत्ति खरीदी गई। लिहाजा, ट्रायल कोर्ट का संबंधित आदेश अवैध है।

मामले को दोबारा से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट के पास भिजवाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को संशोधित कानून के तहत छूट मिलने का अधिकार है या नहीं, यह तथ्यों की जांच का मुद्दा है जो ट्रायल से ही तय होगा। ऐसे केस को शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता।

शेल्टर होम की घिनौनी करतूतों से सुप्रीम कोर्ट भी परेशान, कहीं सुरक्षित नहीं महिलाएं

नई दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। शेल्टर होम्स में लड़कियों के यौन शोषण की शर्मनाक घटनाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने संजीदगी से लिया है। इन घटनाओं पर चिंता जताते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या देश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप मामले में सुनवाई के दौरान अदालत, खास तौर से बिहार सरकार से खफा थी। अदालत ने कहा कि फंड देने से पहले शेल्टर होम की जांच क्यों नहीं की गई आप 2004 से पैसा दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वहां हो क्या रहा है अदालत ने केंद्र सरकार से भी जवाब तलब करते हुए कहा कि देशभर के शेल्टर होम्स में नाबालिगों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उसकी ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ऐसे अपराध रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए।

आश्रय गृहों में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण की घटनाओं पर इसी तरह का सख्त रुख इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने भी दिखाया है। देवरिया शेल्टर होम यौन शोषण मामले की जांच की निगरानी खुद लेते हुए इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार से पूछा कि इस सेक्स रैकेट के पीछे कहीं नेता, अति विशिष्ट लोग और पुलिस तो नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने यौन शोषण और लड़कियों के लापता होने संबंधी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से कई तल्ख सवाल पूछे।

अदालत के सवालों से सरकार अपना दामन नहीं छुड़ा सकती। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम्स यौन शोषण मामला देश के सामने आता ही नहीं, यदि 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस' की टीम बिहार के बालिका आश्रय गृह पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग को नहीं सौंपती। इस रिपोर्ट के बाद जब कुछ मीडियाकर्मियों ने इस मामले की जांच की, तो कई हैरतअंगेज बातें सामने आईं। इधर देवरिया से भी ऐसा ही एक मामला सामने आ गया। बेसहारा लड़कियों को आश्रय और संरक्षण के नाम पर देवरिया के एक शेल्टर होम में बच्चियों से वेश्यावृत्ति कराई जा रही थी। मामला तब खुला, जब इस शेल्टर होम में रह रही एक लड़की जैसे-तैसे वहां से निकल भागी और पळ्लिस तक पहळ्ंची।

जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच सतत संवाद आवश्यक : वेंकैया नायडू

नयी दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच निरंतर संवाद की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधि लेखन के माध्यम से इस काम को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते है। नायडू ने आज संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल के लेखों के संकलन बेबाक बात का विमोचन करते हुए कहा कि सांसदों द्वारा पुस्तकों के माध्यम से अपने कार्यों और विचारों से जनता को अवगत कराना सतत संवाद की स्वस्थ पद्धति है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने संसद में गतिरोध की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि सांसदों को रचनात्मक संवाद की लोकतांत्रिक पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में गतिरोध प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर देश के विकास को प्रभावित करता है। उन्होंने गोयल के लेखों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि लेखन के माध्यम से ना सिर्फ़ अपने अनुभव जनता के बीच साझा कर सकते है बल्कि इससे जनता की प्रतिक्रिया और अपेक्षाओं से भी अवगत हो सकते है। इस मौक़े पर गोयल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे सहित अन्य संसद सदस्य भी मौजूद थे। चिंताओं से सरोकार व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में इस प्रकार के सुधारों की ज़रूरत है जिससे खेती स्थाई तौर पर लाभकारी काम बन सके।

पिछले सप्ताह देशभर में सामान्य से कम रहा मानसून, किसानों में चिंता

नई दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। पिछले सप्ताह देशभर में कम बारिश ने किसानों को निराश किया, जबकि केरल में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। यह जानकारी आईएमडी की साप्ताहिक रिपोर्ट में दी गई है।

सामान्य से 33 फीसद कम बारिश : मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से गुरुवार को जारी साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार, दो अगस्त से आठ अगस्त के दौरान देशभर में औसतन 43.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य औसत 64.6 मिलीमीटर रहती रहता है। इस प्रकार पूरे देश में सामान्य से 33 फीसद कम बारिश हुई। इससे देश के कई हिस्सों में किसान निराश हैं वहीं केरल में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं।

पूरे मौसम में सामान्य से 10 फीसद कम है बारिश : आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून से एक जून से आठ अगस्त तक 474.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस दौरान सामान्य बारिश 526.7 मिलीमीटर होती है। इस प्रकार पूरे मौसम में अब तक सामान्य से 10 फीसद कम बारिश हुई है।

यहां हैं सूखे के हालात : गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ के इलाके में सूखे की स्थिति बनी रही। झारखंड और कर्नाटक में भी सूखे के हालात बने हुए हैं। वहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार, देश के 681 जिलों में से 231 जिलों में बीते सप्ताह सामान्य से कम बारिश हुई, जबकि 314 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई।

अगस्त-सितंबर में सामान्य रहेगा मानसून : पिछले सप्ताह आईएमडी ने कहा कि अगस्त और सितंबर महीने में देशभर में 95 फीसद बारिश हो सकती है और मानसून सामान्य रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगस्त में 96 फीसद बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि जून में जारी अनुमान के मुकाबले अगस्त में ज्यादा बारिश हो सकती है। हालांकि इसमें नौ फीसद कम या ज्यादा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून सीजन के आरंभिक दो महीने में यानी जून से लेकर जुलाई अंत तक बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देशभर में बारिश का वितरण बहुत अच्छा रहा और सीजन के बाकी हिस्से में भी मानसूनी बारिश की अनुकूल दशा रहने की संभावना है।

पर्यावरण बचाने के लिए जंगल बचाना ही सबसे सही विकल्प

लंदन, 10 अगस्त (ए)। पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग (पृथ्वी के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि) को लेकर चिंता में है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर बैठकों का दौर चल रहा है। वैज्ञानिक वैश्विक तापमान कम करने के रास्ते तलाशने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में जैविक ईंधन पर आधारित ऐसे पावर स्टेशन बनाने की बात की जा रही है जो कार्बन का उपभोग करते हैं।

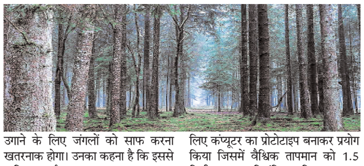

इन पावर स्टेशन में ईंधन के लिए जंगल काटकर फसल उगाने का सुझाव दिया गया है, लेकिन वैज्ञानिक इसे वातावरण के लिए खतरनाक बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे घटने की बजाय कार्बन डाइ आक्साइड की मात्रा बढ़ और जाएगी। बता दें कि बायोमास एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज पॉवर स्टेशन को ऊर्जा उत्पादन और निकलने वाली कार्बन डाइ आक्साइड को जमीन के अंदर स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्टेशन जैविक ईंधन से चलते हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर में हुए अध्ययन में सामने आया है कि बायो पावर स्टेशन के लिए ईंधन वाली फसल उगाने के लिए जंगलों को साफ करना खतरनाक होगा। उनका कहना है कि इससे अधिक कार्बन डाइ आक्साइड वातावरण में पैदा हो जाएगी। उससे सही विकल्प तो जंगल ही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर के अन्ना हार्पर का कहना है कि वर्तमान लक्ष्य के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, लेकिन इसे पाने के लिए जितने जैविक ईंधन की आवश्यकता है, वह भारत के कुल भूभाग से दोगुने क्षेत्रफल में उगेगा। ऐसे में शोधकर्ताओं का ध्यान इस ओर गया कि इसे पाने के लिए वैश्विक भूमि में कितना परिवर्तन आएगा।

शोधकर्ताओं ने बायो पावर स्टेशन के लिए कंप्यूटर का प्रोटोटाइप बनाकर प्रयोग किया जिसमें वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक नियंत्रित किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि बायो पावर स्टेशन से वातावरण में कार्बन की मात्रा और बढ़ जाएगी खासकर वहां जहां जैविक फसलों के लिए जंगलों को साफ किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर के टॉम पावेल का कहना है कि बायो पावर स्टेशन कुछ स्थानों पर सही विकल्प हो सकते हैं लेकिन जंगलों का संरक्षण ही बेहतर विकल्प है। बायो पावर स्टेशन ईंधन की गुणवत्ता पर कार्य करते हैं। भविष्य में ये बेहतर विकल्प हों लेकिन वर्तमान में जंगल बचाने से ही पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है।

दोबारा हुई गिनती में इराकी राष्ट्रवादी शिया धर्मगुरू सद्र को मिली जीत

बगदाद, 10 अगस्त (ए)। मई में हुए आम चुनावों के वोटों की दोबारा हुई गिनती के बाद राष्ट्रवादी शिया धर्मगुरू मुक्तदा सद्र के गठबंधन को जीत मिली है। इराक के चुनाव आयोग द्वारा की गयी इस घोषणा के साथ ही देश में आम चुनावों के तीन महीने बाद सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। चुनावों में धांधली के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक तौर पर वोटों की दोबारा गिनती करने के आदेश दिये थे। हालांकि दोबारा हुई गिनती के बाद भी सद्र और वामपंथियों का गठबंधन उन्हें मिली सभी 54 सीटें बचाने में कामयाब रहा है। गठबंधन के पास अब भी इराक की 329 सदस्यीय संसद में सबसे अधिक सीटें हैं। वोटों की दोबारा गिनती में सिर्फ कॉन्क्रेस्ट गठबंधन को एक सीट का फायदा हुआ है। हालांकि वह अब भी दूसरे स्थान है लेकिन उसके पास पहले की 47 सीटों के मुकाबले अब 48 सीटें हैं। प्रधानमंत्री हैदर अल-आब्दी की पार्टी के पास महज 42 सीटें हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद निवर्तमान राष्ट्पति के पास संसद का सत्र बुलाने के लिए 15 दिन का वक्त होगा।